अति–आवश्यक

राजस्थान-सरकार

# कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

कमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/ 2070 दिनांक 03-05-2020

## संशोधित आदेश

### अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश कमाक इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश कमाक 1649 दिंनाक 19.03.2020, 1704 दिनांक 22.03.2020, 1824 दिनांक 31.03.2020, 1829 दिनांक 01.04.2020 एवं 1905 दिनांक 14.4.2020 से कोरोना वायरस (COVID-19) के संकमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेुत तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिरोही जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 03.05.2020 की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा जारी की गई हैं ।

इस सम्बन्ध में, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के आदेश कमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 01.05.2020 के कम में अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर से जारी मोडिफाईड लॉकडाउन दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक बढाने के आदेश दिनांक 02.05.2020 की कियान्विती हेतु मैं, भगवती प्रसाद, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग कर दिनांक 17 मई, 2020 की मध्य रात्रि तक बढाया जाकर निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ :-

1. सांय 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा । आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा । यह डयूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों / चिकित्सा और पैरा मेडीकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा जिनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा ।
2. सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, सायं 6 बजे या इससे पूर्व बन्द कर दिये जायेगें ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यकित सायं 7.00 बजे तक अपने घर पहुंच जायें ।
3. सार्वजनिक स्थानों पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
4. शादी से सम्बन्धित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. अन्तिम संस्कार/अन्तिम विधियों से सम्बन्धित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. यह आदेश रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, चिकित्सा प्रतिष्ठान, बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालय, सीमा सुरक्षा बल, राजकीय डयूटी मे तैनात सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, अर्द्व सैनिक बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, होम गार्ड आदि पर लागू नही होगा जो कि राजकीय कार्य एवं कानून व्यवस्था के लिये अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हो ।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया हैं तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे सम्बन्धित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली

की जा सके, अतः यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता हैं । यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005/राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित जुर्माना और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त आदेश आज दिनांक 03-05-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

कमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/ 2070 दिनांक 03-05-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जोधपुर / महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर ।
2. पुलिस अधीक्षक, सिरोही को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार आदेश की पालना हेतु समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करावें ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद, सिरोही /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
4. उपखण्ड् मजिस्ट्रेट, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूपर्वत ।
5. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूरोड् ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ।
7. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण ........................................
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही/ शिवगंज/ रेवदर/ पिण्डवाड़ा/ आबूरोड्
9. आयुक्त, नगर परिषद्, सिरोही / आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत ।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पिण्डवाड़ा /शिवगंज /आबूरोड् ।
11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकरी, सिरोही को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
12. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष / आपदा प्रबन्धन / विकास शाखा
13. निजी सहायक, जिला कलक्टर, सिरोही ।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही